

गसुरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01.10.93 में उपस्थित
सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति:-

1-	श्री एम0रामचन्द्र, आणुवत, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2-	श्री के0एल0शर्मा, उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून	उपाध्यक्ष
3-	श्री राकेश बहादुर, जिलाधिकारी, देहरादून	
4-	श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून	सदस्य
5-	श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसुरी	सदस्य

प्रतिनिधि सदस्य:

- 1- श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी, विशेष सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- श्री दर्शन सिंह, मुख्य अभियंता, जल निगम, देहरादून।
- 3- श्री डी0के0गायूर, अभीभाष अभियंता, विद्युत्, देहरादून।
- 4- श्री एम0पी0अनेजा, वरिष्ठ नियोजक, न0एवं0 ग्राम0न0 वि0, लखनऊ।
- 5- श्री रमेश चन्द्रा, महाप्रबन्धक, जि0उ0के0, देहरादून।

विशेष आमंत्री:

- 1- श्री नव प्रभात, सदस्य, उ0प्र0 विधान परिषद
- 2- श्री वृज बी0रतन, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सभागीय नियोजन खण्ड, न0एवं0 ग्राम0 नि0

अन्य उपस्थिति:

विभागा, देहरादून।

- 1- श्री प्रभांशु, सचिव, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।
- 2- श्री कुंवर सिंह, संयुक्त सचिव, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।
- 3- श्री रामपाल सिंह, अधिशासी अभियंता, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।
- 4- श्री ए0के0प्रधान, अधिशासी अभियंता, विद्युत्, देहरादून।

0000

प्रस्तावित कक्षाओं एवं विद्यार्थियों के लिये आवास के निर्माण की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाये कि भवन निर्माण जी-1 होगा। अर्थात् ग्राउण्ड फ्लोर और प्रथम तल। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय हुआ कि ग्राउण्ड कवरेज 15 प्रतिशत रखा जायेगा तथा भूउपयोग परिवर्तन शुल्क भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सरकिल रेट अथवा बाजारी मूल्य का 10 प्रतिशत। दोनों में से जो भी अधिक हो। सम्पूर्ण भूमि के क्षेत्रफल पर देय होगा। इसी आधार पर उपाध्यक्ष, म० दे० वि० प्रा० अग्रेत्तर कार्यवाही करें।

बिन्दु सं०-2.0 के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श हुआ। समिति द्वारा राजपुर रोड़ हेतु प्रस्तावित भवन निर्माण उपविधियों का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की ओर से उल्लेख किया गया कि उपविधियों में कतिपय व्यावहारिक कठिनाईयां हैं। इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये उपविधियों का संशोधित प्रारूप बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त संस्तुतियों के सम्बन्ध में यह बिन्दु रखा गया कि समिति द्वारा काफी सोच विचार के बाद ही उपविधियों का वर्तमान प्रारूप बनाया गया है अतः उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। तथापि इस सम्बन्ध में अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं हो सका अतः सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व प्रश्नगत विषय के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत समीक्षा करके मामला पुनः-विचार हेतु बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

देहरादून महायोजना भू उपयोग पुनरीक्षण प्रस्तावः

उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में काफी विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि देहरादून महायोजना भूउपयोग पुनरीक्षण प्रस्ताव सम्बन्धी एजेण्डा नोट में उल्लिखित सभी मामले पूर्ण विवरण, साईट प्लान, स्थल की स्थिति तथा सम्बन्धित मानचित्र आदि के साथ पुनः प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाएं।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

दि की 21/5/11

10/6/94



के० एल० शर्मा
उपाध्यक्ष,
म० दे० वि० प्रा० ।

14/2/11/23-1

एम० रामचन्द्रन
आयुक्त/अध्यक्ष,
म० दे० वि० प्रा० ।